न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर रिव्यू 2098-III/14

अभिनेन्द्र सिंह (पिंक्की राजा) पुत्र श्री भारतेन्दु सिंह ग्राम कदवारा तहसील विजावर जिला छतरपुर (म.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.) –– अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1348/III/2014 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 19.05.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश, भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नविलोकन आवेदन

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुर्नविलोकन आवेदन पत्र निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, ग्राम देवरा में स्थित खसरा नं. 295 रकवा 0.94 एकड आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है जिसके पूर्व मालिक राजा सांवत सिंह जूदेव महाराज विजावर द्वारा दिनांक 09.03.1929 को भुवानी सिंह जुदेव को बख्शीश कर दी थी इस प्रकार आवेदक भुवानी सिंह जुदेव का एक मात्र अधिपत्य होकर उनकी मुत्यु पश्चात् से लगातार उक्त भूमि पर मालिक एवं कब्जेदार के रूप में आज दिनांक काब्जि चले आ रहे है इस बाबजूद उक्त भूमि व गढी राजस्व रिकोर्ड में आवेदक के नाम दर्ज नहीं हो सकी जिसे दर्ज कराने के लिये नायब तहसीलदार मण्डल देवरी के समक्ष दिनांक 13.01.2012 को सहिता की धारा 158, 115, 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर इस्तहार का प्रकाशन कराकर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई किन्तु बाद में दिनांक 01.02.2012 को आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।
2. यहकि, नायब तहसीलदार देवरी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजावर के समक्ष अपील क्रमांक 101/2011–12 प्रस्तुत की गई थी जो आदेश दिनांक 15.05.2012 से निरस्त कर दी गई।
3. यहकि, अनुविभागीय अधिकारी विजावर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 1014/अ–6/2011–12 प्रस्तुत की गई थी। जो आदेश दिनांक 17.07.2013 द्वारा निरस्त कर दी गयी।
4. यहकि, अपर आयुक्त, सागर संभाग, सांगर के आदेश विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1348/III/2014 प्रस्तुत किया गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2014 से प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही निरस्त कर दिया गया। माननीय न्यायालय के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह पुर्नाविलोकन माननीय न्यायालय के समक्ष

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

प्रकरण कमांक 2098–तीन/14 पुनरावलोकन जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
2-1-17	न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1348–तीन/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–5–2014 के विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में दिये गये आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी के तर्क सुने तथा प्रकरण कमांक 1348–तीन/2014 निगरानी में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के प्रकरण 1348–तीन/2014 निगरानी के तथ्यों एंव आदेश दिनांक 19–5–14 की समीक्षा की गई। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को के दौरान उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन में अंकित किये हैं। किसी भी प्रकरण में पारित आदेश के पुनरावलोकन हेतु संहिता की धारा 51 में इस प्रकार व्यवस्था दी गई – 1. प्रत्यक्ष दर्शी भूल अथवा नियमों की त्रृटि, 2. किसी ऐसे अभिलेख की प्राप्ति तथा प्रस्तुतीकरण, जो उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जब कि आदेश पारित किया गया एंव वाद में शोध पर प्राप्त हुआ, 3. अन्य पर्याप्त हेतुक . आवेदक के अभिभाषक उक्त आधारों के कम में नहीं बता सके हैं कि आदेश दिनांक 19–5–14 का पुनरावलोकन किन आधारों पर किया जाय है। इसके विपरीत प्रकरण

प्र0क0 2098–तीन/14 पुनरावलोकन

कमांक 1348–तीन/2014 निगरानी के तथ्यों एंव आदेश दिनांक 19–5–2014 में स्पष्ट तथ्य आये हैं कि निगरानी 210 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत हुई है । निगरानी के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा– 5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों से तत्कालीन सदस्य सन्तुष्ट नहीं हुये हैं एंव पुनरावलोकन आवेदन में भी आवेदक के अभिभाषक आदेश दिनांक 19–5–14 के पुनरावलोकन हेतु संहिता की धारा 51 में दिये गये उक्त आधारों पर समाधान नहीं करा सके हैं, जिसके कारण आदेश आदेश दिनांक 19–5–14 पुनरावलोकन योग्य न होने से फेर–बदल की गुॅजायश नहीं है। अतएव पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है।

सदस्य